हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

16-05-25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर प्रार्थिया अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन उपरान्त निर्णय संक्षिप्त में निम्न प्रकार है–

प्रार्थना पत्र संख्या 90/2022 **दायरा दिनांक 22.11.2022**

बउनवान दिया सैनी बनाम हनुमान वगै0

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत् प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद विषयक आराजी वाके ग्राम मुई तहसील इन्द्रगढ़ में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि अप्रार्थिगण 1 ता0 4 के पिता कालूलाल आ0 शंकरलाल जाति माली निवासी सुमेरगंजमण्डी के खातेदारी की कृषिभूमि है जिससे प्रार्थिया की पुश्तैनी भूमि है जिसमें प्रार्थिया कानूनी रूप से हक अधिकार निहित है। प्रार्थिया कानूनी रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के साथ 1/12 हिस्से की खतेदार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थिगण को प्रार्थना में चाहे गए अनुतोष अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थिगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

हमने प्रार्थिया अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थिया अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया वाद विषयक भूमि पुश्तैनी होने से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थिगण संख्या 1,6,7 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वाद विषयक भूमि को किसी प्रकार से हस्तान्तरण व रहन नहीं करें।

हमने प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं मनन किया। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–71 खतौनी संख्या 10 वाके ग्राम मुई तहसील इन्द्रगढ़ में वाद विषयक आराजी कुल किता 6 कुल रकबा 3.16है0 कालूलाल पुत्र शंकरलाल जाति माली सा0 सुमण्डी के नाम खातेदारी में दर्ज थी। वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076–76 के खाता संख्या 13 में दर्ज उक्त प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4, सन्तोषदास, भंवरी बाई के नाम पूर्व खातेदार कालूलाल की मृत्यु हो जाने से जर्ये विरासत से दर्ज हुई है। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेज से प्रार्थिया दिया सैनी अप्रार्थी संख्या 1 हनुमान आ0 कालूलाल की पुत्री है जिससे प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड से यह साबित है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थिया की पुश्तैनी भूमि है जिसमे उसका जन्म से कानूनी हक अधिकार निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दौराने वाद यदि अपने हिस्से की भूमि बैचान की जाती है तो प्रार्थिया को अपूर्णीय क्षति कारित होना स्वभाविक है। प्राथमिक दृष्ट्या सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति एवं केस प्रार्थिया के पक्ष में प्रमाणित है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को मूल वाद के निस्तारण तक जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वाद विषयक आराजी खसरा संख्या 222,223,224,231,232,234 कुल रकबा 3.16है0 वाके ग्राम मुई तहसील इन्द्रगढ़ में निहित अपने हिस्से का रहन, बैचान व किसी प्रकार से हस्तांतरण नहीं कर मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थित बनाए रखें तथा अप्रार्थी संख्या 6,7 उक्त प्रश्नगत आराजी के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 के निहित हिस्से की राजस्व रिकॉर्ड में यथास्थिति बनाए रखें। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद पूर्ति संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को खुल इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)